IV 29/12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 247256

ट्रस्ट डीड

मैं श्री राम राज गुप्ता S/O श्री स्व0 राम स्वरूप गुप्ता निवासी राज नगर पो0–लालगंज जिला– प्रतापगढ़ का निवासी हूं जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यायाधीश कहा गया है। व्यवस्थापक की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापक ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/– रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहता है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और यह दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानो के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर अभी तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है। उक्त व्यवस्थापक ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इसी विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करता है और घोशणा करता है कि–

1 यह कि उक्त का नाम R. R. Gupta Educational Social and Charitable Trust होगा।

2 यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय राज नगर लालगंज जिला– प्रतापगढ़ होगा परन्तु ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरण कर सकते हैं।

3 यह कि ट्रस्ट उक्त राशि का अंकन 11000/– रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि को उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो को धारण करेंगें तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगें।

4 यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओ की स्थापना एवं संचालन में व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य हेतु धारण करेंगें तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्य में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5 यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण अधिग्रहण सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओ व्यक्तियों, संस्थाओं व विभिागो से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 247257

6 स्कूल, कालेज, तकनीकी संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय व फार्मा शिक्षण, विधि व नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन चिकित्सकीय शिक्षण, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक व व्यवसायिक कोर्स हेतु कॉलेजो की स्थापना व संचालन करना।

7 नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

8 शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

9 शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिकां आदि) का प्रकाशन करना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हॉस्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

10 सभी प्रकार की फिल्में, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण करना।

11 धर्मशाला, आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

12 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनताति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगो, विधवाओं तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता करना तथा उनकी शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

13 सरकारी सहायता प्राप्त करना सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फेन्चाइजी बनाकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापको कर्मचारी को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रदान करवाना।

14 समय–समय पर विभिन्न समस्याओ पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।

15 समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बिमारियों के सम्बन्ध मे जागरूकता पैदा करना।

16 गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र करकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियां देना।

17 ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 247258

18 अस्पताल, औशाधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

19 प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना , जिसमें प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

20 निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबंधन करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना की व्यवस्था करना।

21 स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

22 कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना उन्हें क्रय-विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना।

23 ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

24 ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य के सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान को प्रोत्साहन देना।

25 वे सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

26 यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशाप आयोजित करना।

27 कृषि उन्नति एवं विकास हेतु अनुसंधान करना तथा वह सभी कार्य करना जिससे कृषि विकास हो तथा पैदावार बढ़े एवं समाज में उसका प्रचार प्रसार करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 247259

कार्य क्षेत्र–

यह कि न्याय/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति:–

1. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागो को किसी भी समय पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यो मे से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।
3. यह कि व्यवस्थापको/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है।।अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियो का कार्यकाल एक वर्श का होगा।
4. यहकि श्री रामराज गुप्ता S/O श्री स्व0 रामस्वरूप गुप्ता उपरोक्त ट्रस्ट की प्रथम अध्यक्ष एवं मालती आर0 गुप्ता पत्नी श्री रामराज गुप्ता निवासी राजनगर पोस्ट लालगंज जिला प्रतापगढ़ उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होगे।

   यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और न ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी या व्यवस्थापक अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग–पत्र देता है अथवा मृत्यु की दशा मे व्यवस्थापक को उनके रिक्त पद पर नया पदाधिकारी/व्यवस्थापक रखने का अधिकार होगा। यदि उक्त पदाधिकारियों मे से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग पत्र देता है और उसे सचिव व अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म होक जायेंगे
5. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगे:

अध्यक्ष– ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करने के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष–अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्यवाही वैद्य होगें जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

सचिव – ट्रस्ट की बैठको में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्यरूप मे परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठको को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठको की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 247265

सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उप सचिव:– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना, किन्तु उप सचिव के द्वारा की गयी कार्यवाही वैध होगें जिनका अनुमोदन अध्यक्ष व सचिव से करा लिया जाएगा।

कोषाध्यक्ष:– ट्रस्ट की समस्त आय व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातो का संचालन अध्यक्ष एव सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातो का संचालन किया जा सकेगा।

6– यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे – न्यायालय प्रकरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन निर्माण, मान्यता सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन व्यवस्था के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे। यदि किसी विशय पर मतभेद हो सकता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्माण सर्वमान्य होगा।

7– यह कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवके के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियो को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसका कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यो उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणत: ट्रस्ट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव व कोशाध्यक्ष की उक्त समस्त प्रबन्धक समितियो के क्रमश: अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव व कोशध्यक्ष होगें तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इससे परिवर्तन भी किया जा सकता है।

8– यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यो से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेण्ट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9– यह कि बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विशय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणत: ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

10– यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये समय–समय व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के भोगरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 247266

11– यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देयों की पूर्ति हेतु कही भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी भार्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नही होगा।

12– यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या का 1/3 अथवा किन्ही तीन ट्रस्टीयों का जो भी अधिक हो होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाति है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगण को डाक द्वारा सूचना प्रेशित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नही हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्तवपूर्ण कार्यो मे अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

13– यह कि उक्त व्यवस्थापक का ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ से अपने तकतीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगे और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा।

14– यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केल अपने द्वारा किये गये प्राप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैकर,दलाल,एजेण्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गई है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि हाने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नही होगे।

15– यह कि अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, ओवर ड्राफट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते है। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातो का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातो का संचालन भी किया जा सकेगा।

16– यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

17– यह कि ट्रस्टीगण उक्त की उद्देश्य की पूर्ति तथा आव यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18– यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाकायदा हिसाब रखेंगे और प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय–व्यय का लेखा वा आर्थिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 600334

21 यह कि डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।

22 यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

23 यदि किसी कारणवश ट्रस्ट न चल सका तो भूमिदाता श्री रामराज गुप्ता या उनके वारिसान को वापस होगी।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

श्री राम राज गुप्ता पुत्र श्री स्व० रामस्वरूप गुप्ता निशानगत अंगूठे

तहरीर तारीख

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 DEC 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 247245

चिट्ठा बनायेंगे जा कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

19-- यह कि न्यासी /ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्ताधिकारी व वसीयत के अनुसार नि ि चत कर सके ट्रस्टी सदस्यो के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेगें। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थपक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक ट्रस्टी/न्यासी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नमाकन कराया जायेंगा जा उक्त न्यासी/ट्रस्टी के मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतदद्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

20 यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डो सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट अथवा संविदा द्वारा अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्ट इसमें हुई किसी हाति के जिम्मेदार नही होगे।